कार्यालय : राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.

सी-1, विक्रान्त खण्ड 1 (निकट शहीद पथ), गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : 4502 /एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./2014 दिनांक 29 दिसंबर, 2014

आदेश

आयोग में लंबित अपीलों की संख्या अत्यधिक होने के कारण पाया जा रहा है कि नवीन अपीलों की अपेक्षाकृत पुरानी विचाराधीन अपीलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। पुराने लंबित अपीलों को शीघ्र निस्तारण हेतु सूचीबद्ध किये जाने की प्रकिया के संबंध में पूर्व आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नवत निर्देश पारित किये जाते हैं -

1. अगले निर्देश तक अब मात्र वर्ष 2005 तक की सभी लंबित अपीलें तथा उसके उपरान्त की मात्र ऐसी अपीलें जो अंगीकृत नहीं हुई हैं, केवल उन्हीं को श्रेणी (Categories) के अनुसार संबंधित न्याय कक्षों में सूचीबद्ध किया जायेगा, भले ही उनकी पिछली तिथि में, उन्हें न्याय कक्ष/पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किये जाने के आदेश हों। अब ऐसी अपीलों को नियत तिथियों पर 'निबंधक के समक्ष' (Before Registrar) शीर्षक में सूचीबद्ध किया जायेगा।
2. वर्ष 2006 व उससे आगे की अंगीकृत अपीलों में अपीलार्थी/प्रत्यर्थी की लिखित बहस दाखिल करने के पीठ के आदेश हों अथवा न हों, उन सभी को लिखित बहस दाखिल करने के आशय से 'निबंधक के समक्ष' सूचीबद्ध किया जायेगा और ऐसी अपीलों की पत्रावली में लिखित बहस तक की कार्यवाही पूर्ण हो जाने की निबंधक की टिप्पणी के उपरांत उन्हें अगले आदेशों तक अभिलेखागार में 'सूचीबद्ध किये जाने हेतु तैयार' (Ready to List) श्रेणी में अलग से रख दिया जायेगा। भविष्य में उन्हें सूचीबद्ध किये जाने के निर्देश उपरान्त पक्षकारों को निबंधक द्वारा नियत की गई तिथि की सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय द्वारा प्रेषित की जायेगी।
3. वर्ष 2006 व उससे आगे की अंगीकृत अपीलों में अपीलार्थी/प्रत्यर्थी के लिखित बहस दाखिल करने के लिये निबंधक अपीलार्थी/प्रत्यर्थी को मात्र एक माह तक का अधिकतम समय, एक बार में, दे सकते हैं और इस अवधि में यदि संबंधित अपीलार्थी/प्रत्यर्थी अपनी लिखित बहस अपरिहार्य कारणों से दाखिल नहीं करते हैं तो दो बार और समय दे कर निबंधक द्वारा उन्हें 'सूचीबद्ध किये जाने हेतु तैयार' (Ready to List) श्रेणी में रखे जाने के लिये निर्देशित कर दिया जायेगा।
4. मा. उच्चतम न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय एवं मा. राष्ट्रीय आयोग के समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देश के अनुपालन संबंधी सभी अपीलें, चाहे के वर्ष 2005 के पूर्व की हों या उसके उपरांत की हों, न्याय कक्ष सं. 1 की कॉजलिस्ट में पूर्वानुसार सूचीबद्ध की जायेगी।
5. मा. राष्ट्रीय आयोग द्वारा 'रिमांड' की गई ऐसी अपीलें, जो प्रथम बार न्याय कक्ष संख्या 1 में सूचीबद्ध हो चुकी हैं एवं उनके शीघ्र या समयबद्ध निस्तारण के संबंध में मा. राष्ट्रीय आयोग के

कोई निर्देश न हों, उन सभी को, चाहे वे वर्ष 2005 के पूर्व की हों या उसके उपरांत की हों, उनकी श्रेणी (Category) के अनुसार संबंधित न्याय कक्षों में नियत तिथि पर सूचीबद्ध किया जायेगा।

6. वर्ष 2006 व उससे आगे की ऐसी अपीलों जिनका 'स्थगन आदेश' अगली तिथि तक के लिये हो, उनको भी 'निबंधक के समक्ष' (Before Registrar) शीर्षक में सूचीबद्ध किया जायेगा और उनका 'स्थगन' निबंधक द्वारा नियत की गई तिथि तक प्रभावी माना जायेगा।
7. मूल वाद (Complaint), इजराय (Execution), विविध प्रार्थना-पत्र (Miscellaneous Application) व निगरानी याचिका (Revision Petition) को उनकी श्रेणी (Category) के अनुसार संबंधित न्याय कक्षों में नियत तिथि पर सूचीबद्ध किया जायेगा।
8. 'फ्रेश लिस्ट' व 'बॉक्स अप्लीकेशन' के मामले पूर्व की भांति न्याय कक्ष सं. 1 की कॉजलिस्ट में सूचीबद्ध किये जायेंगे।
9. उपरोक्त निर्देशों से इतर कोई भी अपील अध्यक्ष के निर्देशों के बिना किसी भी न्याय कक्ष में सूचीबद्ध नहीं की जायेगी।
10. एक ही प्रकार/प्रकृति के विभागीय/संस्थाओं आदि मामलों का 'बंच' बनाकर निबंधक उन्हें सुनवाई हेतु हर 15 दिन बाद सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश प्राप्त करेंगे। ऐसे बनाये गये 'बंच' की अपीलों को सूचीबद्ध करते समय 'सूचीबद्ध किये जाने हेतु तैयार' (Ready to List) श्रेणी को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
11. यह आदेश दि. 01.01.2015 की कॉजलिस्ट से प्रभावी होगा।

(न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त मा. सदस्यगण, राज्य आयोग।
2. निबन्धक, राज्य आयोग।
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, निबन्धन/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, राज्य आयोग।
4. प्रशासनिक अधिकारी (अभिलेखागार/अधिष्ठान पटल), राज्य आयोग।
5. वरिष्ठ सहायक (रीडर), न्याय कक्ष सं. 1, 2, 3, 4 व 5 ।
6. नोटिस बोर्ड।
7. अध्यक्ष, ऑल यू.पी. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन, लखनऊ।
8. प्रोग्रसिव कन्ज्यूमर बार एसोसिएशन, लखनऊ।

29/12/14
(मो. रईस सिददीकी)
निबंधक